कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म0प्र0)

ज्ञापन

क्र0 1190/दो–11–1/19 होशंगाबाद, दिनांक 28.08.19 29

प्रति,

(1) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग,
होशंगाबाद

(2) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी,
होशंगाबाद

विषयः– इस स्थापना पर पदस्थ शासकीय सेवकों की सेवापुस्तिका मे वार्षिक सत्यापन बावत्।

––00––

उपरोक्त विषय एव संदर्भ मे आदेशानुसार निवेदन है कि इस स्थापना पर पदस्थ शासकीय सेवकों की सेवापुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर प्रत्येक पांच वर्ष में कराये जाने वाले हस्ताक्षर तथा प्रत्येक वर्ष सबंधित को सेवापुस्तिका मे की गई प्रविष्टियो, वेतन निर्धारण व अवकाश लेखा का अवलोकन कराकर कॉलम नम्बर–8 में शासकीय सेवक के हस्ताक्षर नहीं लिये गये हैं, जो आवश्यक हैं।

अतः आदेशानुसार निवेदन है कि आपके न्यायालय अथवा अधीनस्थ अनुभाग मे पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवको को सूचित किया जावे कि वे आगामी अकार्य दिवस शनिवार दिनाक 31.08.19 को एक–एक कम मे लेखा शाखा होशगाबाद में दो–दो मिनिट के लिये पहुंचकर अपनी सेवापुस्तिका लेखापाल अथवा सहायक लेखापाल तथा उपप्रशासनिक अधिकारियों अथवा प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अपनी–अपनी सेवापुस्तिका में आवश्यक विकल्पों की जानकारी एव प्रविष्टियों का अवलोकन तथा वेतन निर्धारण व अवकाश लेखे का अवलोकन कर, अपनी सेवापुस्तिका के वर्तमान लेखाकन वाले पृष्ठ के कॉलम नम्बर–8 में हस्ताक्षर कर दिनाक सहित अंकित करने को निर्देशित करने का कष्ट करे।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट, होशंगाबाद(म.प्र.)

पृ.क. /दो–11–1/19 होशगाबाद, दिनांक 28.08.19 29

आदेशानुसार प्रतिलिपि :

(1) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, इटारसी/सिवनीमालवा/सोहागपुर/पिपरिया
(2) समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण इटारसी/सि.मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
(3) उपप्रशासनिक अधिकारी(प्रथम/द्वितीय) होशंगाबाद
(4) कार्यालयीन लिपिक, होशंगाबाद को ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिले की तहसीलो मे पदस्थ शासकीय सेवकों की सेवापुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियो आदि का अवलोकन एवं वार्षिक हस्ताक्षर कराने के लिये प्रत्येक सिविल न्यायालय कमशः इटारसी/सिवनी मालवा कमशः दिनाक 03 व 04 सितम्बर, 2019 को श्री संदीप पाठक, उपप्रशासनिक अधिकारी (द्वितीय) को कार्यालयीन लिपिक के साथ सेवापुस्तिका भेजकर तथा सिविल न्यायालय कमशः सोहागपुर/पिपरिया दिनांक 05 व 06 सितम्बर, 2019 को श्री अरुण शर्मा, उपप्रशासनिक अधिकारी (प्रथम) को कार्यालयीन लिपिक के साथ सेवापुस्तिका भेजकर उक्त कार्य सम्पन्न करते हुये उक्त स्थानो पर स्थापित न्यायालयों के अर्थदण्ड लेखों की आगामी लेखा जांचकर कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
होशंगाबाद(म.प्र.)